भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
****

विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार - 2011 के लिए आवेदनों का आमंत्रण

विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

(i) सर्वश्रेष्ठ विकलांग कर्मचारी/स्व-नियोजित विकलांग व्यक्ति;
(ii) विकलांग व्यक्तियों के स्थापन हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और स्थापन अधिकारी/एजेंसी;
(iii) विकलांग व्यक्तियों के हितार्थ कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति (व्यावसायिक सहित) और सर्वश्रेष्ठ संस्था;
(iv) रोल मॉडल पुरस्कार;
(v) विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान/अभिनव/उत्पाद विकास;
(vi) विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य;
(vii) पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला;
(viii) स्व-परायणता, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास की स्थानीय स्तर की सर्वश्रेष्ठ समिति;
(ix) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम का सर्वश्रेष्ठ राज्य संचालक अभिकरण;
(x) उत्कृष्ट सृजनशील वयस्क विकलांग व्यक्ति;
(xi) सर्वश्रेष्ठ सृजनशील विकलांग बालक/बालिका;
(xii) सर्वश्रेष्ठ ब्रेल मुद्रणालय; और
(xiii) सर्वश्रेष्ठ विकलांगजन-अनुकूल वेबसाइट ।

2. निर्धारित मापदंड पूरा करने वाले व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । आवेदन केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए । पुरस्कार

की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए प्रत्येक के मापदंड निर्धारित है और राष्ट्रीय पुरस्कार, 2011 योजना का पूर्ण विवरण मंत्रालय की विकलांगजन अनुकूल वेबसाइट (www.socialjustice.nic.in) पर देखा जा सकता है ।

3. केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजित व्यक्तियों के आवेदन मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के माध्यम से ऐसी सरकार/प्रशासन/उपक्रम में सक्षम प्राधिकारी की समुचित सिफारिश के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में (हिन्दी अथवा अंग्रेजी में) भेजे जाने चाहिए ।

4. अन्यों (निजी क्षेत्र के संगठनों/असंगठित क्षेत्र में नियोजित व्यक्ति तथा स्व-नियोजित व्यक्तियों सहित) के मामले में आवेदन निम्नांकित में से किसी एक के माध्यम से तथा उनकी सिफारिश से भेजे जाने चाहिए:-

- संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे विभाग जो विकलांगता से संबंधित मामलों को देखते हैं ।
- संगत विषय अथवा क्षेत्र से जुड़े केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग
- विकलांगजन पुनर्वास से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता अथवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों के अधीन)
- उस जिले के समाहर्ता जहां आवेदक व्यक्ति/संस्थान अवस्थित है ।
- विकलांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता ।

5. उपर्युक्त पैरा 2 से 4 के तरीके से नहीं भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

6. निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन के साथ निम्नांकित संलग्न होने चाहिए:-

- पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ (व्यक्तियों के मामले में)
- उपलब्धियों के सार सहित जीवनवृत्त, तथा इसके समर्थन में दस्तावेज और
- मसौदा प्रशस्तिपत्र (एक पृष्ठ से अधिक नहीं) ।

7. समुचित रूप से अनुशंसित तथा हर प्रकार से पूर्ण आवेदन अनुभाग अधिकारी (डीडी-IV} सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा सं0 242, द्वितीय तल, "ए"

विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-11001 को भेजे जाए ताकि ये आवेदन उन्हें ***16 अगस्त, 2011*** तक अवश्य प्राप्त हो जाएं । ***अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त और/अथवा निर्धारित प्राधिकारी/व्यक्ति द्वारा अनुशंसित न होने की स्थिति में आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।***

*****